

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 674 / 11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 26, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:— कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० 15.150 की बायीं पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा सं०-1470 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/34/2018, दिनांक-22.05.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-371/14-1, दि० 05.08.2025 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 674 / 11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 674 / 11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 371 / 14-1(13881/2015) अलीगढ़ दिनांक: जुलाई, 05/08/2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भ:-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 22.05.2025.

2-आपका पत्रांक- 3471/11-सी, दिनांक 27.05.2025

3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक-4205/Petrolpump/13881/2015 दिनांक 16.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के उक्त संदर्भित पत्र से संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है।

S.No.	Observation	Compliance
1.	In this Context, it is all informed that as per calculation sheet submitted by Division Director, Social Forestry Division, Aligarh, calculation of NPV has been made at the rate of Rs.9,57,780/- (Class-III Open Forest) However, as per part-II on Parivesh, area proposed for diversion is classified as Eco Class-I for which the prescribed rate of NPV for open forest is Rs. 11,16,900/-Further, as per the calculation sheet, simple interest at the rate of 12% has been charged for a period of nine years. It is reiteted that, simple interest of 12 percent is applicable only if the demand notice is raised and same is not paid by user Agency. In view of the above, the State Government is requested to re-calculate the value of NPV and penal NPV and submit the payment details as per the revised calculation.	1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अलीगढ़-रामघाट रोड (एमडीआर-105) किमी० चैनेज-15.150, खसरा संख्या-1470 ग्राम उखलाना, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है एवं किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० में 09 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से जनपद अलीगढ़ दक्षिण पश्चिम अर्द्ध शुष्क जोन (South Western Semi Arid Zone) के अन्तर्गत आता है एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) पाये जाते हैं। अतः प्रकरण Eco Class-III (Open Forest) से आच्छादित है एवं तदनुसार एन०पी०वी० की प्रस्तावित दरों के अनुसार एन०पी०वी० एवं दण्डात्मक एन०पी०वी० का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी से कराया गया है। प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भाग-2 भरते समय त्रुटिवश Eco Class-I (Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests) अंकित हो गयी थी जबकि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कोई भी Eco Class-I से आच्छादित वन स्थित नहीं है। जिसकी पुष्टि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के बिन्दु सं०-10.27.3 (संलग्नक) एवं वन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट upforest.gov.in के About us/Overview (संलग्नक) से की जा सकती है। अतः Eco Class-I के

		अनुसार धनराशि की गणना किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। 2-- प्रकरण में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना शीट में 12 प्रतिशत सामान्य व्याज का प्रावधान कर धनराशि जमा करायी गयी है। दिये गये निर्देशानुसार प्रेषित मांग पत्र के अनुसार यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उक्त प्रावधान के अनुसार धनराशि प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना कि कैम्पा मद में धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात् धनराशि वापस करने का प्रावधान नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि "प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी गयी दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि से कोई आपत्ति नहीं है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग कैम्पा से नहीं की जायेगी।" (संलग्नक)
--	--	--

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।